



भारत में वित्तीय समावेशन

संदर्भ: G20 के विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने डिजिटल भुगतान का उपयोग करके वित्तीय समावेशन लक्ष्य को 47 से घटाकर 6 वर्ष कर दिया है।

- विश्व बैंक का G20 दस्तावेज डिजिटल भुगतान अवसंरचना (DPI) के माध्यम से वित्तीय समावेशन में भारत की प्रभावशाली उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है।
- पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में UPI लेनदेन का कुल मूल्य भारत के नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% तक पहुंच गया।
- DPI के कारण भारत में बैंकों के लिए ग्राहकों को जोड़ने की लागत \$23 से \$0.1 तक कम हो गई।
- मार्च 2022 तक, भारत ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से \$33 बिलियन की बचत की, जो सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.14% के बराबर है।
- इंडिया स्टैक, जो डिजिटल आईडी, इंटर ऑपरेबल भुगतान, डिजिटल क्रेडेंशियल लेजर और खाता एकीकरण को जोड़ती है, ने छह वर्षों के भीतर 80% वित्तीय समावेशन दर में योगदान दिया।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते मार्च 2015 में 147.2 मिलियन से तीन गुना बढ़कर जून 2022 तक 462 मिलियन हो गए, जिसमें 56% स्वामित्व महिलाओं के पास था।
- यूपीआई जैसी फास्ट पेमेंट सिस्टम (एफपीएस) को अपनाना भारत में परिवर्तनकारी रहा है, मई 2023 में 9.41 बिलियन से अधिक लेनदेन का मूल्य लगभग 14.89 ट्रिलियन रुपये था।

वित्तीय समावेशन के लिए योजनाएं:

- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY):**
 - इसे 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया।
 - इसका उद्देश्य बैंक खातों, ऋण, बीमा और पेंशन तक किफायती पहुंच का विस्तार करना है।
 - पहले चार वर्षों में 318 मिलियन से अधिक बैंक खाते खोले गए।
 - यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है और विशेष रूप से महिलाओं के लिए मुफ्त बैंक खाते तक पहुंच प्रदान करता है।
- **मुद्रा (MUDRA) योजना:**
 - इसे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया।
 - यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किफायती ऋण प्रदान करता है।
 - लक्ष्य: लक्षित दर्शकों को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में लाना है।
 - यह विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण प्रदान करता है।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना :**
 - वार्षिक नवीनीकरण के अधीन, यह एक वर्ष के लिए जीवन बीमा कवरेज प्रदान करता है।
 - इसे 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया।
 - 2018 तक 5 करोड़ से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया।
 - यह कमजोर वाले पारिवारिक मुखिया की मृत्यु की स्थिति में परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना:**
 - इसे आकस्मिक मृत्यु सम्बंधित बीमा के लिए 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया।
 - यह दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
 - यह निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा प्रबंधित है।
- **अटल पेंशन योजना (APY):**
 - इसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया।
 - इसका उद्देश्य वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करना है।
 - इसने पिछली स्वावलंबन योजना को प्रतिस्थापित किया।
 - इसके माध्यम से सरकार श्रमिक द्वारा जमा की गई कुल धनराशि का 50% योगदान देती है।
- **स्टैंड अप इंडिया योजना:**
 - यह SC/ST और महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक का बैंक ऋण प्रदान करता है।
 - यह विनिर्माण, सेवाओं, कृषि और व्यापार में उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
 - इसमें गैर-व्यक्तिगत उद्यमों में बहुमत हिस्सेदारी रखने के लिए एससी/एसटी या महिला उद्यमियों की आवश्यकता होती है।
- **प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY):**
 - यह 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है।
 - यह 10 वर्षों के लिए गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है।
 - इसे 2017 में लॉन्च किया गया और मार्च 2023 तक बढ़ाया गया था।
 - यह निवेशकों को अपनी पेंशन राशि चुनने की अनुमति देता है।
- **वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY):**
 - यह वार्षिकी भुगतान के साथ एक वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना है।
 - इसकी पहली बार घोषणा 2003-04 में की गई और बाद के वर्षों में इसे पुनर्जीवित किया गया।
 - यह वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।





➤ सुकन्या समृद्धि योजना:

- इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया।
- इसका उद्देश्य बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित करना है।
- यह लड़की की भविष्य की शिक्षा और शादी के लिए बचत की अनुमति देता है।
- यह 21 साल तक या लड़की के 18 साल की होने के बाद शादी की उम्र तक पहुंचने तक वैध है।

➤ वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति:

- 2019-2024 के लिए आरबीआई की रणनीति।
- इसका लक्ष्य टियर II से टियर VI केंद्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं को मजबूत करना है।
- छह रणनीतिक उद्देश्यों में सार्वभौमिक पहुंच, वित्तीय सेवाएं, आजीविका सहायता, वित्तीय साक्षरता, ग्राहक सुरक्षा और प्रभावी समन्वय शामिल हैं।

विश्व का पहला वैश्विक स्टॉक टेक

संदर्भ: पेरिस जलवायु समझौते के आठ साल बाद, पहला आधिकारिक रिपोर्ट जो ग्लोबल वार्मिंग के सबसे खतरनाक प्रभावों से निपटने में की गयी सीमित प्रगति का उल्लेख करता है।

- वैश्विक स्टॉक टेक पेरिस समझौते का हिस्सा है, जहां विभिन्न देश 2023 से शुरू होने वाले जलवायु परिवर्तन प्रगति का आकलन करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में मिलेंगे।
- लगभग दो साल की तैयारी के बाद इस स्टॉक टेक की पहली आधिकारिक रिपोर्ट, दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता कार्यक्रम COP 28 की नींव रखेगी।
- नवंबर के अंत में होने वाला COP 28 इस बात पर चर्चा करेगा कि देश वैश्विक स्टॉक टेक के निष्कर्षों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और वे क्या अतिरिक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
- रिपोर्ट में जलवायु प्रयासों में सफलता या विफलता के लिए विशिष्ट देशों को अलग नहीं किया गया है, बल्कि वैश्विक जलवायु वार्ता में एक चुनौती पर प्रकाश डाला गया है।
- इस बात पर असहमति बनी हुई है कि किन देशों को उत्सर्जन में कटौती के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए, विकासशील देश अमेरिका और यूरोप जैसे धनी उत्सर्जकों से जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने का आग्रह कर रहे हैं, जबकि अमेरिका सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में चीन की भूमिका पर जोर देता है।
- इस वर्ष की वार्ता की देखरेख करने वाले सुल्तान अल-जबर संयुक्त अरब अमीरात के नवीकरणीय ऊर्जा और राष्ट्रीय तेल क्षेत्रों में दोहरी भूमिका निभाते हैं, जिससे संभावित निष्पक्षता के संबंध में आलोचना होती है।

वैश्विक स्टॉक टेक:

- वैश्विक स्टॉक टेक पेरिस समझौते का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन करना है।
- यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के निष्पादन और पेरिस समझौते में निर्धारित व्यापक उद्देश्यों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- इसका एक केंद्रीय उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जलवायु महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहित करना और बढ़ाना है।

स्टॉक टेक के चरण:

कटोविस समझौते में उल्लिखित वैश्विक स्टॉक टेक प्रक्रिया:

➤ चरण 1: सूचना संग्रहण और तैयारी

- स्टॉक टेक के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करना और तैयार करना।
- डेटा स्रोतों में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी), आईपीसीसी वैज्ञानिक निष्कर्ष और गैर-सरकारी हितधारकों से इनपुट शामिल हैं।
- सूचना को सार्वजनिक किया जाता है और संश्लेषण रिपोर्ट में संकलित किया जाता है।
- व्यक्तिगत रिपोर्टें शमन, अनुकूलन, कार्यान्वयन के साधन और वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन जैसे फोकस विषयों को कवर करती हैं।

➤ चरण 2: सूचना का तकनीकी मूल्यांकन

- इसमें पेरिस समझौते और इसके दीर्घकालिक लक्ष्यों को लागू करने में प्रगति का आकलन करने के लिए एकत्रित जानकारी का आकलन करना शामिल है।
- चरण 1 डेटा पर चर्चा करने के लिए हितधारक तकनीकी संवाद में संलग्न होते हैं।
- जलवायु प्रतिक्रिया उपायों को मजबूत करने के अवसरों की पहचान करता है।
- परिणाम विभिन्न रिपोर्टों में प्रलेखित हैं, जिनमें सारांश रिपोर्ट और अंतिम संश्लेषण रिपोर्ट शामिल हैं।

➤ चरण 3: तकनीकी मूल्यांकन से राजनीतिक संदेश

- मूल्यांकन परिणामों को नीतिगत कार्रवाइयों में परिवर्तित करता है।
- इसका उद्देश्य पेरिस समझौते के पक्षों को उनकी जलवायु नीतियों और कार्यों में सुधार करने में सहायता करना है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
- विशिष्ट दस्तावेजीकरण विधि, जैसे राजनीतिक घोषणा या औपचारिक निर्णय, अस्पष्ट बनी हुई है।

Year	COP Number	Venue
1995	COP 1	Berlin, Germany
1996	COP 2	Geneva, Switzerland
1997	COP 3	Kyoto, Japan
1998	COP 4	Buenos Aires, Argentina
1999	COP 5	Bonn, Germany
2000	COP 6	The Hague, Netherlands
2001	COP 6	Bonn, Germany
2001	COP 7	Marrakech, Morocco
2002	COP 8	New Delhi, India
2003	COP 9	Milan, Italy
2004	COP 10	Buenos Aires, Argentina
2005	COP 11	Montreal, Canada
2006	COP 12	Nairobi, Kenya
2007	COP 13	Bali, Indonesia
2008	COP 14	Poznań, Poland
2009	COP 15	Copenhagen, Denmark
2010	COP 16	Cancún, Mexico
2011	COP 17	Durban, South Africa
2012	COP 18	Doha, Qatar
2013	COP 19	Warsaw, Poland
2014	COP 20	Lima, Peru
2015	COP 21	Paris, France
2016	COP 22	Marrakech, Morocco
2017	COP 23	Bonn, Germany
2018	COP 24	Katowice, Poland
2019	SB50	Bonn, Germany
2019	COP 25	Madrid, Spain
2021	COP 26	Glasgow, United Kingdom
2022	COP 27	Sharm El Sheikh, Egypt
2023	COP 28	Dubai, United Arab Emirates





भारत-अमेरिका रक्षा संबंध

संदर्भ: भारत और अमेरिका का संयुक्त बयान जेट इंजन, सशस्त्र ड्रोन और डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान सहित विभिन्न विषयों के समझौतों पर जोर देता है।

- इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक समझौते के माध्यम से भारत में GE F-414 जेट इंजन के निर्माण को मंजूरी।
- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतिम बकाया डब्ल्यूटीओ विवाद का निपटारा।
- सैन्य निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 31 जनरल एटॉमिक्स एमक्यू-9बी (दूर से संचालित विमान) खरीदने का भारत का अनुरोध।
- अमेरिकी नौसेना की संपत्तियों और विमानों के रखरखाव और मरम्मत के लिए भारत को केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता।
- भारत के विमान रखरखाव और मरम्मत क्षमताओं में अमेरिकी उद्योग के और निवेश को प्रोत्साहना।

रक्षा संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- **रक्षा संबंध:**
 - रक्षा संबंध भारत-अमेरिका का एक प्रमुख स्तंभ है। सामरिक भागीदारी।
 - रक्षा व्यापार, संयुक्त अभ्यास, कार्मिक आदान-प्रदान और समुद्री सुरक्षा सहयोग में गहनता।
- **द्विपक्षीय अभ्यास:**
 - भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका के साथ अधिक द्विपक्षीय अभ्यास करता है।
 - उल्लेखनीय अभ्यासों में शामिल हैं:
 - **टाइगर ट्राइफ:** भारतीय सेना, नौसेना और अमेरिकी नौसेना।
 - **बज्र प्रहार:** संयुक्त राज्य सेना के विशेष बल और पैरा एसएफ।
 - **युद्ध अभ्यास:** भारत और अमेरिका के बीच चल रहा सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण।
 - **कोप इंडिया:** वायु सेना इकाइयों को शामिल करना।
 - **मालाबार अभ्यास:** भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास।
- **रक्षा व्यापार और पहल:**
 - अमेरिका से रक्षा संबंधी अधिग्रहणों का कुल मूल्य 15 अरब डॉलर से अधिक है।
 - भारत-अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (डीटीटीआई) सह-विकास और सह-उत्पादन को बढ़ावा देती है।
 - प्रौद्योगिकी साझा करने की सुविधा प्रदान करते हुए, 2016 में अमेरिका द्वारा भारत को "प्रमुख रक्षा भागीदार" के रूप में मान्यता दी गई थी।
 - उन्नत प्रौद्योगिकी इंटरैक्शन के लिए 2018 में रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण (एसटीए) लाइसेंस अपवाद के टियर I में भारत की पदोन्नति।
- **मूलभूत समझौते:**
 - चार मूलभूत समझौते सहयोग को मजबूत करते हैं:
 - **GSOMIA (2002):** साझा वर्गीकृत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देता है।
 - **LEMOA (2016):** सैन्य रसद साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
 - **COMCASA (2018):** अमेरिकी स्वामित्व वाले उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षित संचार की अनुमति देता है।
 - **BECA (2020):** भारत को अमेरिकी भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता तक वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करता है।
- **सहयोग तंत्र:**
 - रक्षा सहयोग में विभिन्न तंत्र शामिल हैं:
 - रक्षा नीति समूह।
 - सैन्य सहयोग समूह।
 - संयुक्त कार्य समूहों के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल।
 - कार्यकारी संचालन समूह।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

क्रिप्टोकॉइन्स



क्रिप्टोकॉइन्स क्या है?

क्रिप्टोकॉइन्स एक प्रकार की डिजिटल या आभासी मुद्रा है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। यह ब्लॉकचेन नामक विकेंद्रीकृत तकनीक पर काम करती है।

बिटकॉइन: बिटकॉइन पहली और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोकॉइन्स है, जिसे 2009 में एक गुपनाम व्यक्ति या छद्म नाम सातोशी नाकामोटो का उपयोग करने वाले लोगों के समूह द्वारा बनाया गया था।

विकेंद्रीकरण: क्रिप्टोकॉइन्स प्रायः विकेंद्रीकृत होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे किसी केंद्रीय प्राधिकरण, सरकार या वित्तीय संस्थान द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं।




ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी: क्रिप्टोकॉइन्स ब्लॉकचेन पर निर्भर करती है, जो एक डिजिटल 'सार्वजनिक बही खाता' (public ledger) है, तथा कंप्यूटर के नेटवर्क पर सभी लेनदेन को रिकॉर्ड करती है।

डिजिटल वॉलेट: उपयोगकर्ता अपनी क्रिप्टोकॉइन्स को डिजिटल वॉलेट में संग्रहीत करते हैं, जो सॉफ्टवेयर-आधारित (ऑनलाइन) या हार्डवेयर-आधारित (भौतिक)

Face to Face Centres





	<p>उपकरण) हो सकते हैं।</p> <p>लेन-देन: क्रिप्टोकॉर्सी बैंकों जैसे मध्यस्थों की आवश्यकता की उपेक्षा करते हुए सीधे पीयर-टू-पीयर लेनदेन की अनुमति देती है। ये लेन-देन ब्लॉकचैन नामक विकेंद्रीकृत बहीखाता पर सुर्क्षित रूप से दर्ज किए जाते हैं।</p> <p>सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं (सीबीडीसी): कई केंद्रीय बैंक क्रिप्टोकॉर्सी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी स्वयं की डिजिटल मुद्राएं, जिन्हें सीबीडीसी के रूप में जाना जाता है, जारी करने पर विचार कर रहे हैं।</p>
<p>GE F414 -414 जेट इंजन</p> 	<p>GE F414 फाइटर जेट इंजन:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ GE F414 एक उच्च-प्रदर्शन अक्षीय-प्रवाह टर्बोफैन इंजन है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट, JAS 39 ग्रिपेन और तेजस मार्क II जैसे सैन्य विमानों को शक्ति प्रदान के लिए किया जाता है। ➤ यह GE F404 इंजन का व्युत्पन्न है, जिसे 1970 के दशक में विकसित किया गया था। ➤ इसका उपयोग अमेरिकी नौसेना के विमानों द्वारा 30 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है। ➤ इस इंजन उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका तक सीमित नहीं है; स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में विभिन्न लड़ाकू विमानों में इसका उपयोग किया जाता है या उपयोग के लिए ऑर्डर दिया गया है। <p>प्रमुख विशेषताएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ इसमें अपने पने सफल F404 पूर्ववर्ती की तुलना में 35% अधिक जोर प्रदान करता है, इसमें एक सरल और मॉड्यूलर डिजाइन शामिल है जो विश्वसनीयता और रखरखाव को सरल बनाता है। ➤ यह इंजन "फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल (FADEC)" का उपयोग करने वाला पहला लड़ाकू इंजन है। FADEC इंजन के प्रदर्शन का सटीक नियंत्रण प्रदान करता है। ➤ FADEC प्रणाली ईंधन दक्षता में सुधार करती है और उत्सर्जन को कम करती है, जिससे इंजन अधिक पर्यावरण के अनुकूल बन जाता है। ➤ इंजन में एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक इंजन इंस्ट्रुमेंटेशन (IEE) प्रणाली शामिल है, जो उड़ान के दौरान पायलटों को सूचित निर्णय लेने में सहायता करने के लिए वास्तविक समय डेटा प्रदान करती है।
<p>पर्ल बाजरा (Pearl Millet)</p> 	<p>पर्ल बाजरा (Pearl Millet):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्ल बाजरा, जिसे वैज्ञानिक रूप से पेनिसेटम ग्लोकम के नाम से जाना जाता है, एक सूखा प्रतिरोधी, वार्षिक अनाज की फसल है। ➤ यह पोएसी परिवार से संबंधित है और गर्म मौसम की फसल है। <p>भौगोलिक वितरण:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ बाजरा की खेती मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। ➤ यह राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में उगाया जाता है। <p>पोषण मूल्य: बाजरा अत्यधिक पौष्टिक अनाज है, जो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर से भरपूर है।</p> <p>बाजरा उत्पादन क्षेत्रों में बदलाव: भारत में मुख्य पर्ल बाजरा उत्पादन क्षेत्र 1998 और 2017 के बीच शुष्क क्षेत्रों से पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के 18 जिलों में स्थानांतरित हो गए।</p> <p>बाजरा क्षेत्रों का वर्गीकरण: भारत वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर बाजरा खेती क्षेत्रों को वर्गीकृत करता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ जोन 'ए1' में राजस्थान के 400 मिमी से कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। ➤ जोन 'ए' उत्तरी और मध्य भारत के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों को कवर करता है जहां 400 मिमी से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। ➤ जोन 'बी' में दक्षिणी और मध्य पश्चिमी भारत में भारी मिट्टी वाले अर्ध-शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। <p>संशोधित क्षेत्र: नए अध्ययन में 'ए' को तीन उपक्षेत्रों में विभाजित किया है: 'जी' (गुजरात), 'एई1' (पूर्वी राजस्थान और हरियाणा), और 'एई2' (यूपी और एमपी में 12 जिले)।</p> <p>उत्पादन प्रभाव: 'एई1' भारत का प्राथमिक बाजरा उत्पादन क्षेत्र बन गया, जिसमें अधिक वर्षा और तकनीकी प्रगति के कारण 46 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर (1,694 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) की वृद्धि देखी गई।</p>
<p>काजीरंगा टाइगर रिजर्व (बीएसआई)</p> 	<p>स्थान: काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत के असम राज्य में, देश के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित है।</p> <p>स्थापना:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ इसे 1908 में एक आरक्षित वन के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 1950 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। ➤ इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ और 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। <p>जैव विविधता:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ यह रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक सींग वाले भारतीय गैंडे भी शामिल हैं। ➤ यह बाघों, हाथियों, जंगली भैंसों और विभिन्न पक्षी प्रजातियों का भी घर है। <p>संरक्षण में सफलता: काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित करने में सफल रहा है, और पिछले कुछ वर्षों में इसकी आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।</p> <p>बाढ़ के मैदान: यह रिजर्व ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान पर स्थित है और मानसून के मौसम के दौरान वार्षिक बाढ़ का खतरा रहता है।</p>





विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)



स्थापना: 1967 में स्थापित, WIPO एक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है।
मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
उद्देश्य: वैश्विक बौद्धिक संपदा संरक्षण और रचनात्मक गतिविधि को बढ़ावा देना है।
सदस्यता: WIPO में 193 सदस्य देश हैं और भारत 1975 में इसका सदस्य बना।
कार्य:

- यह अंतर्राष्ट्रीय आईपी नियमों को आकार देता है।
- यह वैश्विक आईपी सुरक्षा और विवाद समाधान प्रदान करता है।
- यह ज्ञान साझा करने के लिए तकनीकी बुनियादी ढाँचा स्थापित करता है।

इतिहास:

- प्रमुख समझौते में, पेरिस कन्वेंशन (1883), बर्न कन्वेंशन (1886), और मैड्रिड समझौता (1891) शामिल हैं।
- WIPO ने 1970 में BIRPI का स्थान ले लिया और 1974 में UN में शामिल हो गया।
- 1978 में पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) और 1994 में मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र (एएमसी) की शुरुआत की गई।

टोंगा ज्वालामुखी



विस्फोट का स्थान: विस्फोट प्रशांत द्वीप राष्ट्र टोंगा में हुआ है।

विस्फोट की तारीख: 15 जनवरी, 2022, यह विस्फोट 1883 में क्राकाटोआ विस्फोट के बाद, सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया विस्फोट है।

परिमाण: यह आधुनिक उपकरणों के साथ अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक था।

नए द्वीप का निर्माण: नुकु'आलोफा से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में एक नया द्वीप बना है जो दुनिया का सबसे युवा भूमि समूह बन गया है।

विस्फोट का प्रकार: विस्फोट की विशेषता चट्टानों, राख और गैस सहित ज्वालामुखीय सामग्री का एक तीव्र उत्सर्जन थी।

पानी के नीचे का उत्सर्जन: विस्फोट पानी के अंदर हुआ, विशेष रूप से जलमग्न हंगा टोंगा-हंगा हा'आपाई ज्वालामुखी में।

पानी के नीचे की धाराएँ: इसके परिणामस्वरूप अब तक दर्ज की गई सबसे तेज पानी के नीचे की धाराएँ 122 किलोमीटर (76 मील) प्रति घंटे की गति तक पहुँच गईं।

सुनामी: विस्फोट से घातक सुनामी उत्पन्न हुई, जिसके विनाशकारी परिणाम हुए।

दूरसंचार को नुकसान: शक्तिशाली धाराओं ने पानी के भीतर दूरसंचार केबलों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जो टोंगा को बाकी दुनिया से जोड़ते थे।

वैज्ञानिक अध्ययन: ब्रिटेन के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान केंद्र (एनओसी) के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक शोध दल ने विस्फोट और उसके प्रभावों का अध्ययन किया।

हाल ही में, फिलीपींस ने विवादित दक्षिण चीन सागर में पुनः आपूर्ति मिशन के दौरान चीनी जहाजों द्वारा "अवैध" कार्यों की निंदा की।

जगह:

दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर में एक सीमांत समुद्र है, जिसकी सीमा चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से लगती है।

क्षेत्रीय विवाद:

- दक्षिण चीन सागर क्षेत्रीय विवादों का केंद्र है, मुख्य रूप से कई देशों द्वारा किए गए प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय दावों के कारण।
- चीन लगभग पूरे समुद्र पर अपना दावा करता है, जबकि अन्य देशों के दावे एक जैसे हैं।

स्प्रेटली द्वीप समूह और पारासेल द्वीप समूह:

- दक्षिण चीन सागर में ये द्वीप श्रृंखलाएँ क्षेत्रीय विवादों के केंद्र में हैं।
- चीन, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया सहित कई देश इन द्वीपों के कुछ हिस्सों पर संप्रभुता का दावा करते हैं।

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड):

- विवाद प्रायः ईईजेड के आसपास केंद्रित होते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ तटीय राज्यों को समुद्री संसाधनों की खोज और उपयोग के संबंध में विशेष अधिकार हैं।
- ये विवाद मछली पकड़ने के अधिकार और संभावित तेल और गैस भंडार तक पहुँच को प्रभावित करते हैं।

यूएनसीएलओएस का फैसला:

- समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो समुद्री अधिकारों और सीमाओं को नियंत्रित करती है।
- 2016 में, एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों के विरुद्ध निर्णय दिया था और कहा कि चीन के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालाँकि, चीन ने इस फैसले को खारिज कर दिया।



समाचारों में स्थान

दक्षिण चीन सागर

POINTS TO PONDER

- ❖ AI का उपयोग करके कक्षाओं में बच्चों में रचनात्मक अभिव्यक्ति विकसित करने में मदद करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? - एडोब
- ❖ जस्टिस अमिताभ रॉय समिति किससे संबंधित है? - जेल सुधार
- ❖ किस कंपनी ने भारत के पहले UPI-ATM का अनावरण किया है? - हिताची भुगतान सेवाएँ
- ❖ काइलिनक्सिया झांगी का लगभग 520 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म किस देश से मिला है? - चीन
- ❖ G20 के दौरान पुलिस एक-दूसरे से संवाद करने के लिए किस ऐप का इस्तेमाल करेगी? - सैड्स ऐप

Face to Face Centres

